निर्णय वइजलास श्री रामसिंह गुर्जर आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी छबडा जिला बारां द्वारा अध्यासित

प्रकरण संख्या 13/2011
दायरा दिनांकः—08.02.2011
निर्णय दिनांकः— 19.3.25

उनवान

1. भॅवरलाल आत्मज रतनलाल जाति जाटव निवासी रामपुरिया तहसील छबडा जिला बारां (राज0)

बनाम

1. नारायण आत्मज रतनलाल जाति जाटव निवासी रामपुरिया तहसील छबडा जिला बारां (राज0)
2. बद्रीलाल आत्मज भजनलाल जाति बैरवा निवासी भदोडी तहसील राघोगढ जिला गुना (मध्यप्रदेश)
3. जमनालाल आत्मज मेघराज जाति जाटव निवासी रामपुरिया तहसील छबडा
4. रामप्रसाद आत्मज गणेशराम जाति चमार निवासी कडैयानोहर तहसील छबडा
5. राजथान सरकार जर्से तहसीलदार साहब छबडा जिला बारां (राज0)

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88,89,91,188 आर0 टी0 एक्ट0
निर्णय दिनांकः— 19.3.25

अभिभाषक उपस्थितः—1. श्री अब्दुल हसीब आलम — वादी
2. श्री मोहित शर्मा — प्रतिवादी

अभिभाषक वादी द्वारा वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 89, 91, 188 आर.टी.ए विरूद्ध अप्रार्थीगण के न्यायालय मे इस अशय का पेश किया गया कि खाता संख्या 37 की भूमि खसरा नम्बर 17 की रकबा 1 बीघा, खसरा नम्बर 40 की रकबा 4 बीघा 3 बिस्वा, खसरा नम्बर 41 की रकबा 4 बीघा 10 बिस्वा कुल किता तीन रकबा 9 बीघा 13 बिस्वा वाले ग्राम नवाबगंज तहतील छबडा की कृषि आराजीयात पर वादी का कब्जा गत 50 वर्षो से निर्बाध रूप से निरन्तर चला आ रहा है। उपरोक्त वर्णित आराजीयात को वादी ने काबिल काश्त बनाया और गत 50 वर्षो से भी अधिक समय से निर्बाध रूप से उपरोक्त वर्णित आराजीयात पर काश्त करता चला आ रहा है। पता नहीं कब प्रतिवादी 1 व 2 ने उपरोक्त का वर्णित आराजीयात की खातेदारी पद पर वादी के साथ सह खातेदार के रूप में अपना नाम दर्ज करवा लिया जो निरस्त किये जाने योग्य है। प्रतिवादी क्रमांक 1 व 2 का वादग्रस्त आराजीयात खसरा नम्बर 17 रकबा 1 बीघा, खसरा नम्बर 40 की रकबा 4 बीघा 3 बिस्वा खसरा नम्बर 41 ही रकबा 4 बीघा 10 बिस्वा कुल किता तीन रकबा 9 बीघा 13 बिस्वा वाके ग्राम नवाबगंज तहसील छबड़ा पर कभी भी कब्जा काश्त नहीं रहा है। इन आराजीयात पर वादी ही कब्जा काश्त चला आ रहा है। एडवर्स पजेशन के आधार पर भी वादी को उक्त आराजीयात पर स्वतः खातेदारी

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

अधिकार प्राप्त हो चुके है एवं सम्पूर्ण भूमि को अपने नाम कागजात राज मैं बतौर खाते दर्ज करवाने का कानूनी अधिकार प्राप्त हो गया है। प्रतिवादी क्रम 3 हमेशा से ही ग्राम भदौडी तहसील राघोगढ जिला गुना मध्यप्रदेश में निवास कर रहा है वह कभी भी ग्राम नवाबगंज में स्थित वादग्रस्त आराजीयात को काश्त करने नही आया है। प्रतिवादी क्रमांक 1 नारायण ने भी वादग्रस्त भूमि को कभी भी काश्त नही की। दौराने वाद प्रतिवादी क्रमांक 1 व 2 वादी को वादग्रस्त आराजीयात से बेदखल कर देते है तो वादी को कब्जा दिलाया जावें। दौराने वाद यदि प्रतिवादी क्रमांक 1 व 2 वाग्रस्त आराजीयात जिसका वर्णन वाद पत्र की मद नम्बर 1 में दिया गया है को रहन बेचान करतें है तो उसे भी प्रभाव शून्य घोषित किया जावें। प्रतिवादी क्रमांक 1 व 2 को कोई वैधानिक अधिकार नही है कि वह वादग्रस्त आराजीयात को अन्य किसी को हस्तान्तरित बेचान या रहन करें। भूमिधारी राजस्थान सरकार होने से उपरोक्त शीर्षक के वाद में उसे प्रतिवादी क्रमांक 3 बनाया गया है। दिनांक 23.04. 20225 को श्रीमान जिला कलक्टर महोदय, बारां द्वारा तहसीलदार छबडा को धारा 80 सिविल प्रक्रिया संहिता का नोटिस इस आशय का प्रेषित किया जा चुका है कि भूमि खसरा नम्बर 17 की रकबा 1 बीघा, खसरा नम्बर 40 की रकबा 4 बीघा 3 बिस्वा एंव खसरा नम्बर 41 की रकबा 4 बीघा 10 बिस्वा कुल किता तीन रकबा 9 बीघा 13 बिस्वा वाके माल नवाबगंज तहसील छबडा को वादी के नाम राजस्व अभिलेख में बतौर खातेदारी पद पर नाम दर्ज किया जावें। एवं प्रतिवादी क्रमांक 1 व 2 का नाम राजस्व अभिलेख से निरस्त किया जावें। वादी को अन्देशा है कि प्रतिवादी क्रमांक 1 व 2 वाग्रस्त आराजीयात को रहन बेचान कर सकतें है इस कारण वाद आवश्यक प्रकृति का होने से समय पूर्व प्रस्तुत किया जा रहा है। इस हेतु धारा 80 (2) सिविल प्रक्रिया संहिता का प्रार्थना पत्र अलग से वाद प्रस्तुत करने की अनुमति हेतु पेश किया जा रहा है। दिनांक 23.04.2005 को वादी ने प्रतिवादीगण से कहां कि तुमने वाग्रस्त आराजीयात को राजस्व अभिलेख में सहखातेदार के रूप में अपना नाम दर्ज क्यों करवा लिया जबकि भूमि मेरे कब्जे मे है तुम खातें में से अपना नाम हटाओं तो प्रतिवादीगण ने साफ इन्कार कर दिया इसी दिनांक को अन्तिम बार वाद कारण उत्पन्न हुआ।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण का जर्ये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण की ओर से जवाब दावा मय काउन्टर क्लेम पेश हुआ। वकील प्रतिवादी ने बताया कि वादी एवं प्रतिवादी नारायण व नन्दकिशोर तीनों सगे भाई थे तीनो का पिता रतनलाल था। रतनलाल के खातेदारी की आराजी वाके ग्राम नवाबगंज तहसील छबडा में स्थित थी। खातेदार रतनलाल की मृत्यु के बाद फोती नामान्तरण भंवरलाल नारायण, नन्दकिशोर व बेवा पत्नि के नाम खुला। दोनो खातो में भंवरया का 1/4 हिस्सा था खसरा नम्बर 40,41 की भूमि में नारायण, नन्दकिशोर, व उसकी मां ने अपना हिस्सा 1/4 जमनालाल पुत्र मेघराज जाअव को 1/4+1/4+ 1/2 हिस्सा बद्रीलाल पुत्र भजनलाल को जर्ये विक्रय पत्र बेचान कर कब्जा क्रेता को दिया था खसरा नम्बर 17 रकबा 1 बीघा का 3/4 हिस्सा नारायण नन्दकिशोर व उसकी मां द्वारा रामप्रसाद को जर्ये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से बेचान कर दिया भवरंया की स्वअर्जित आराजी नही थी बल्कि पैत्रक भूमि थी यह भूमि रतनलाल की थी प्रतिवादी नारायण, नन्दकिशोर, व उसकी मां द्वारा

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

3/4 हिस्से का बेचान कर दिया था। वादी द्वारा सहखातेदारों को पक्षकार बनाये एक तरफा वाद डिक्री करवा वादी भवरंया द्वारा नारायण, व बडी को पक्षकार बना कर झुठा दावा पेश किया जिसमें नारायण खातेदार नही था। बडी को तामील नही हुई। वास्तविक सहखातेदार रामप्रसाद व जमानालाल को पक्षकार नही बनाया एक तरफा डिक्री करवा कर नामान्तरण संख्या 303 दिनांक 04.05.2010 खुलवा कर सहखातेदारान का नाम खाते से खारिज करवा दिया। माननीय न्यायालय के निर्णय व डिक्री की अपील माननीय न्यायालय भू.प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व प्राधिकारी कोटा की जिसमें अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री अपाप्त करतें हुए जवाब दावा प्राप्त कर तनकी कायम कर नये सिरे से निर्णय पारित करने के आदेश दिये गये।

वादी का वाद खारिज कर प्रतिवादी का काउन्टर क्लेम स्वीकार किया जावें। वादी द्वारा अपने पक्ष के समर्थन में नकल जमाबन्दी ग्राम नवाबगंज सम्वत् 2058–61 खाता संख्या 37 पेश की गई। साक्ष्य वादी में भंवरलाल के बयान करायें गये। वकील प्रतिवादी ने अपने पक्ष के समर्थन में नकल जमाबन्दी ग्राम नवाबगंज सम्वत् 2066–69 खाता संख्या 44,45 नकल नामान्तरण संख्या 303 ग्राम नवाबगंज नकल जमाबन्दी ग्राम नवाबगंज सम्वत् 2058–61 खाता संख्या 37 नकल जमाबन्दी ग्राम नवाबगंज सम्वत् 2070–73 खाता संख्या 44,45 नकल जमाबन्दी ग्राम नवाबगंज सम्वत् 2050–53 खाता संख्या 40 नकल जमाबन्दी ग्राम नवाबगंज सम्वत् 2054–57 खाता संख्या 41 नकल जमाबन्दी ग्राम नवाबगंज सम्वत् 2074–77 खाता संख्या 45 नकल जमाबन्दी ग्राम नवाबगंज सम्वत् 2074–77 खाता संख्या 46 पेश किया गया। साक्ष्य प्रतिवादी में DW1 रामप्रसाद DW2 जमनालाल के बयान कराये गये।

वादी के वाद पत्र एवं प्रतिवादीगण के जवाब दावा मय काउन्टर क्लेम के आधार पर निम्न तनकीयात कायम की गई। ::–

तनकी नम्बर 1 :– आया कि भूमि खसरा नम्बर 17 रकबा 1.00 बीघा खसरा नम्बर 40 रकबा 4.03 बीघा खसरा नम्बर 41 रकबा 4.10 बीघा कुल किता 3 रकबा 9.13 बीघा भूमि वाके ग्राम नवाबगंज पर वादी का कब्जा काश्त गत 50 वर्षो से निर्बाध रूप से निरन्तर चला आ रहा है। **वादी**

तनकी नम्बर 2 :– आया कि विवादित आराजी को प्रतिवादी द्वारा कभी काश्त नही किया है। **वादी**

तनकी नम्बर 3 :– आया कि इन्तकाल नम्बर 303 दिनांक 04.05.2010 खारिज योग्य है इन्तकाल नम्बर 303 के पूर्व की स्थिति अनुसार प्रतिवादीगण का नाम जमाबन्दी में दर्ज करने योग्य है। **प्रतिवादी**

तनकी नम्बर 4 :– अनुतोष

बहस अभिभाषक उभय पक्षकारान सुनी गई बहस के दौरान वकील वादी का कथन है विवादित आराजी वाके ग्राम नवाबगंज तहसील छबडा में स्थित है। जिस पर वादी का कब्जा गत 50 वर्षो से निर्बाध रूप से चला आ रहा है प्रतिवादी क्रम 1 व 2 ने अपना नाम वादी के साथ सहखातेदारी में दर्ज करवा लिया जो निरस्त किये जाने योग्य है प्रतिवादी क्रम 1 व 2 का विवादित

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

आराजी पर कभी कब्जा काश्त नही रहा वादी का ही कब्जा काश्त चला आ रहा है एडवर्स पजेशन के आधार पर भी वादी स्वतः ही खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुके है वादी अपने नाम खाते दर्ज करवाने का अधिकारी है प्रतिवादी क्रम 2 मध्यप्रदेश में निवास करता है तथा प्रतिवादी क्रम 1 का भी कभी कब्जा काश्त नही रहा प्रतिवादी क्रम 1 व 2 वादी को भूमि से बेदखल करना चाहतें है उक्त विवादित आराजी का माननीय न्यायालय से दिनांक 08.04.2009 को वादी के पक्ष में निर्णय पारित किया जा चुका है वादी का वाद स्वीकार फरमाया जावें।

बहस के दौरान वकील प्रतिवादी का कथन है कि वादी एवं प्रतिवादी नारायण व नन्दकिशोर तीनों सगे भाई थे तीनो का पिता रतनलाल था रतनलाल के खातेदारी की आराजी वाके ग्राम नवाबगंज तहसील छबडा में स्थित थी खातेदार रतनलाल की मृत्यु के बाद फोती नामान्तरण भंवरलाल नारायण, नन्दकिशोर व बेवा पत्नि के नाम खुला। दोनो खातो में भंवरया का 1/4 हिस्सा था खसरा नम्बर 40,41 की भूमि में नारायण, नन्दकिशोर, व उसकी मां ने अपना हिस्सा 1/4 जमनालाल पुत्र मेघराज को 1/4+1/4+ 1/2 हिस्सा बद्रीलाल पुत्र भजनलाल को जर्ये विक्रय पत्र बेचान कर कब्जा क्रेता को दिया था खसरा नम्बर 17 रकबा 1 बीघा का 3/4 हिस्सा नारायण नन्दकिशोर व उसकी मां द्वारा रामप्रसाद को जर्ये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से बेचान कर दिया भवरंया की स्वअर्जित आराजी नही थी बल्कि पैत्रक भूमि थी यह भूमि रतनलाल की थी प्रतिवादी नारायण, नन्दकिशोर, व उसकी मां द्वारा 3/4 हिस्से का बेचान कर दिया था। वादी द्वारा सहखातेदारों को पक्षकार बनाये एक तरफा वाद डिक्री करवा वादी भवरंया द्वारा नारायण, व बडी को पक्षकार बना कर झुठा दावा पेश किया जिसमें नारायण खातेदार नही था। बडी को तामील नही हुई। वास्तविक सहखातेदार रामप्रसाद व जमानालाल को पक्षकार नही बनाया एक तरफा डिक्री करवा कर नामान्तरण संख्या 303 दिनांक 04.05.2010 खुलवा कर सहखातेदारान का नाम खाते से खारिज करवा दिया। माननीय न्यायालय के निर्णय व डिक्री की अपील माननीय न्यायालय भू.प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व प्राधिकारी कोटा की जिसमें अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री अपाप्त करतें हुए जवाब दावा प्राप्त कर तनकी कायम कर नये सिरे से निर्णय पारित करने के आदेश दिये गये। वादी का वाद खारिज कर प्रतिवादी का काउन्टर क्लेम स्वीकार किया जावें।

बहस अभिभाषक उभय पक्षकारान सुनी गई पत्रावली एवं रिकार्ड का अवलोकन किया गया। वादीगण के वाद का तनकी वार निस्तारण निम्नानुसार किया जाता है।

तनकी नम्बर 1 :– इस तनकी को साबित करने का भार वादी को था वादी द्वारा प्रस्तुत नकल जमाबन्दी ग्राम नवाबगंज सम्वत् 2058–61 खाता संख्या 37 के अनुसार भवरलाल, नारायण पुत्र रतनलाल कोम जाटव निवासी रामपुरिया हिस्सा 1/2 व बद्रीलाल पुत्र भजनलाल जाति चमार हिस्सा 1/2 सा0देह भदौडी तहसील राघोगढ (मध्यप्रदेश) दर्ज होना पाया जाता है वादी द्वारा कब्जा बाबत् ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य व सबूत पेश नही किया जिससे विवादित आराजी पर वादी का कब्जा काश्त साबित हो सके। वादी द्वारा भंवरलाल के बयान करायें है। नकल

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

जमाबन्दी ग्राम नवाबगंज सम्वत् 2050–53 खाता संख्या 40 एवं सम्वत् 2054–57 खाता संख्या 41 में भंवरलाल, नारायण पुत्र रतनलाल जाति जाटव हिस्सा 1/2 बद्रीलाल पुत्र भजनलाल जाति चमार हिस्सा 1/2 दर्ज रिकार्ड है विक्रय पत्र दिनांक 02.09.2005 के अनुसार नारायण, पुत्र रतालाल द्वारा कुल 8.13 बीघा में से 1/4 हिस्सा चुकता जमनालाल पुत्र मेघराज जाटव निवासी रामपुरिया को जर्ये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से बचान होना पाया जाता है इसी प्रकार नारायण द्वारा दिनांक 02.09.2005 को जर्ये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से खसरा नम्बर 17 रकबा 1 बीघा में हिस्सा 3/4 रामप्रसाद पुत्र गणेशराम को बेचान किया गया। वादी द्वारा सम्पूर्ण भूमि पर 50 वर्षो से अपना कब्जा होना बताया है। एडवर्स पजेशन के आधार पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 में खातेदारी दिये जाने का कोई प्रावधान नहीं है। अतः यह तनकी वादी के विरूद्ध निर्णित की जाती है।

तनकी नम्बर 2 :– इस तनकी को साबित करने का भार वादीगण को था। चूंकि तनकी नं0 1 को साबित करने में वादी विफल रहा है। अतः यह तनकी भी वादी के विरूद्ध निर्णित की जाती है।

तनकी नम्बर 3 :– इस तनकी को साबित करने का भार प्रतिवादीगण को था। प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत नकल जमाबन्दी ग्राम नवाबगंज सम्वत् 2050–53 एवं सम्वत् 2054–57 में भंवरलाल, नारायण पुत्र रतनलाल का हिस्सा 1/2 बद्रीलाल पुत्र भजनलाल हिस्सा 1/2 दर्ज रिकार्ड है विक्रय पत्र दिनांक 02.9.2005 के अनुसार नारायण द्वारा खसरा नम्बर 40 व 41 की कुल भूमि 8.13 बीघा में से अपना सम्पूर्ण हिस्सा 1/4 जमनालाल पुत्र मेघराज जाटव को तथा खसरा नम्बर 17 रकबा 1 बीघा में 3/4 हिस्सा रामप्रसाद पुत्र मेघराज को बेचान कर दिया गया। वादी द्वारा सम्पूर्ण खातेदारों को पक्षकार नही बना कर दावा पेश किया गया था। जो इस न्यायालय द्वारा दिनांक 08.04.2009 को निर्णय पारित किया गया। उक्त निर्णय के विरूद्ध माननीय न्यायायल भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा में प्रतिवादी नारायण , बद्रीलाल, जमनालाल, रामप्रसाद द्वारा अपील पेश की गई। माननीय न्यायालय द्वारा इस न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 08.04. 2009 अपास्त कर अपीलांट से जवाबदावा प्राप्त कर तनकी कायम कर नये सिरे से विधिसम्मत निर्णय पारित करने के निर्देश दिये गये। इस न्यायालय के निर्णय दिनांक 08.04.2009 की पालना में नामान्तरण संख्या 303 दिनांक 04.05.2010 खोला जाकर पालना की गई। चूंकि इस न्यायालय के पूर्व निर्णय दिनांक 08.04.2009 को माननीय न्यायायल भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा द्वारा खारिज किया जा चुका है। इसलिए नामान्तरण नम्बर 303 दिनांक 04.05.2010 स्वतः ही प्रभावहीन व शून्य है। वादी तनकी नम्बर 1 व 2 को साबित करने में विफल रहे है। इसलिए नामान्तरण संख्या 303 दिनांक 04.05.2010 को प्रतिवादीगण खारिज कराने के अधिकारी है। अतः यह तनकी प्रतिवादी के पक्ष में निर्णित की जाती है।

उपरोक्त तनकीयात एवं पत्रावली व रिकॉर्ड के अवलोकन से इस वाद में मुख्य प्रश्न यह है कि वादी एडवर्स पजेशन के आधार पर खातेदारी अधिकार प्राप्त करना चाहते है। जिसको साबित करने के सम्बन्ध में वादी द्वारा कोई साक्ष्य/दस्तावेज पेश नहीं किये गये है एवं वादी अपना कब्जा साबित

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

करने मे विफल रहे है। एडवर्स पजेशन के आधार पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 में खातेदारी दिये जाने का कोई प्रावधान नहीं है। अतः वादी का वाद खारिज किया जाना न्यायोचित है एवं प्रतिवादी द्वारा चाहा गया अनुतोष *''इन्तकाल नम्बर 303 दिनांक 04.05.2010 खारिज फरमातें हुए वादी का वाद खारिज फरमाया जावें व वापस इन्तकाल नम्बर 303 के पूर्व की स्थिति अनुसार प्रतिवादीगण का नाम जमाबन्दी में दर्ज करने का आदेश तहसीलदार छबडा को फरमाया जावें''* को स्वीकार किया जाना उचित है। अतः प्रतिवादीगण का काउण्टर क्लेम स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

:: क्रियात्मक आदेश ::

उपरोक्त विवेचनानुसार वादी का वाद खारिज किया जाता है एवं प्रतिवादीगण का काउन्टर क्लेम स्वीकार किया जाता है। नामान्तरण नम्बर 303 दिनांक 04.05.2010 खारिज किया जाता है। नामान्तरण नम्बर 303 के पूर्व की स्थिति बहाल करने के आदेश तहसीलदार छबडा को दिये जातें है। तदनुरूप डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(रामसिंह गुर्जर)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी, छबडा

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, छबडा जिला बारां (राज0)

डिक्री

वाद संख्या 13/2011	धारा 88, 89 , 91, 188 आर टी एक्ट	निर्णय दिनांक:– 19.3.25
समक्ष : श्री रामसिंह गुर्जर आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी, छबडा जिला बारां		
उपस्थिति :अभिभाषकवादी:–श्री अब्दुल हसीब आलम वादी	अभिभाषक प्रतिवादी:– श्री मोहित शर्मा –प्रतिवादी	

वाद शीर्षक

उनवान

1. भँवरलाल आत्मज रतनलाल जाति जाटव निवासी रामपुरिया तहसील छबडा जिला बारां (राज0)

बनाम

1. नारायण आत्मज रतनलाल जाति जाटव निवासी रामपुरिया तहसील छबडा जिला बारां
   बद्रीलाल आत्मज भजनलाल जाति बैरवा निवासी भदोडी तहसील राघोगढ जिला गुना (मध्यप्रदेश)
2. जमनालाल आत्मज मेघराज जाति जाटव निवासी रामपुरिया तहसील छबडा
3. रामप्रसाद आत्मज गणेशराम जाति चमार निवासी कडैयानोहर तहसील छबडा
4. राजथान सरकार जर्से तहसीलदार साहब छबडा जिला बारां (राज0)

निर्णयार्थ प्रस्तुत वाद में यह आदेशित किया जाता है और तद्नुरूप डिक्री निर्गत की जाती है कि

वादी का वाद खारिज किया जाता है एवं प्रतिवादीगण का काउन्टर क्लेम स्वीकार किया जाता है। नामान्तरण नम्बर 303 दिनांक 04.05.2010 खारिज किया जाता है। नामान्तरण नम्बर 303 के पूर्व की स्थिति बहाल करने के आदेश तहसीलदार छबडा को दिये जातें है।

साथ ही नियमानुसार ..... रू0 का व्ययानुतोष ..... द्वारा ..... को प्रदान किया जाए।
उक्त आदेश मेरे हस्ताक्षर एव न्यायालय की मुद्रा के साथ आज दिनांक 19.3.25 को निर्गत किया गया।

उपखण्ड अधिकारी
छबडा (बारां)

व्ययानुतोष			
क्रमांक	व्यय मद	वादी	प्रतिवादी
1.	वदपत्र/लिखित कथन		
2.	अभिभाषकपत्र (स्टाम्प+लिखितसामग्री व्यय)		
3.	साक्ष्य पत्रक (स्टाम्प+लिखितसामग्री व्यय)		
4.	प्रार्थनापत्र (स्टाम्प+लिखितसामग्री व्यय)		
5.	पारिश्रमिकअभिभाषक		
6.	व्यय साक्षी		
7.	फीसकमिश्नर		
8.	अन्य/क्षतिपूर्ति		
9.	व्याज ( )		
10.	योग		